

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के विभिन्न ग्रामों के रकबा 206.826 हेक्टेयर वनभूमि में तानसी कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वनभूमि व्यपवर्तन करने की अनुशंसा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर इस शर्त पर की जाती है कि मशीनों द्वारा खनन एवं परिवहन से होने वाली ध्वनि के कारण वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को कम किये जाने या समाप्त किये जाने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से अध्ययन कराया जाकर वैज्ञानिक तरीके से उक्त प्रभाव को कम करने के कदम उठाया जा सकें।
----	---	----	---

तिथि: 12/05/2023

स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
~~P.C.C.F.~~ P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal